



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)



फोन नं0 - 05964-244117

फैक्स नं0 -05964-244622

ई-मेल-eeppwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक | 350 / 27 सी.

दिनांक 19-10-2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगोलीहाट में पच्चाधार नैनी जागेश्वर बाया सेरागड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.94 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू0सी0पी0/06/91/2020/एफ0सी0/1115 दि0 28-08-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाली वनभूमि प्रस्ताव ऑन लाईन प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/37053/2018 नोडल कार्यालय देहरादून को प्रेषित किये गये थे। भारत सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचनायें / आपत्तियाँ लगाई गई हैं जिनका निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार किया गया है।

| क्र. सं0 | भारत सरकार द्वारा माँगी गई सूचना                                                                                                                                                                         | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | As per DSS analysis, some agriculture land and a road is visible in the CA area. State Govt. may submit clarification in this regard.                                                                    | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपड़ हेतु सिविल बेनाप भूमि प्रस्तावित की गई है जो श्रेणी 9 (3) ड बंजर काबिल आबाद (सिविल भूमि) चयनित है प्रस्तावित स्थल क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपड़ हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया है। एवं नाप भूमि में प्रस्तावित नहीं किया गया है। |
| 2        | State Govt. may submit their comments on the details of the proposal filled at para -B in part-1 online.                                                                                                 | प्रस्ताव की पूर्ण विवरण औचित्य एवं आवश्यकता Para-b in part-I, में online upload कर लिया गया है।                                                                                                                                                   |
| 3        | SOI toposheet map has not been authenticated by D.F.O. state Govt. may submit /upload the SOI toposheet map duly authenticated by D.F.O.                                                                 | SOI toposheet प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त अपलोड कर दिये गये हैं।                                                                                                                                                                      |
| 4        | Muck disposal plan uploaded online is not legible. State Govt. may upload the clear copy of complete muck disposal plan.                                                                                 | Complete Muck disposal plan online upload कर दिया गया है।                                                                                                                                                                                         |
| 5        | CA scheme has been prepared @ Rs. 143000.00 per hac however the current rate is more than 3 lac per hac. state Govt. may submit /upload the CA scheme on current rate norms.                             | CA scheme पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार अपलोड की गई है। वर्तमान दरों के अनुसार वृक्षा रोपड़ स्कीम तैयार कराकर अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।                                                                                              |
| 6        | Density is mentioned as 0.2 in NPV calculation sheet, however at para 4 in part -II it is mentioned as 0.03 state Govt. may clarify this disparity and submit/ upload the correct information /documents | Density is mentioned as 0.2 in NPV calculation sheet कृपया पार्ट-II में वर्किंग प्लान के अनुसार अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।                                                                                                             |

क्रमशः .....2

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(2)

| क्र. सं० | भारत सरकार द्वारा माँगी गई सूचना                                                                                                                                                                                                    | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | राज्य सरकार लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर ऑन लाईन para C (ii) (b) part -I पर अपलोड करें।                                                                                                         | लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर ऑन लाईन para C (ii) (b) part -I में अपलोड कर दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8        | प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम छोर पर स्थित ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित है। अतः प्रस्तावित मार्ग का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। | प्रस्तावित मार्ग निर्माण होने से जनपद अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम से जुड़ जायेगा तथा गंगोलीहाट ब्लॉक के लगभग 20 हजार की आबादी को यातायात का लाभ प्राप्त होगा व जिला मुख्यालय अल्मोड़ा से सीधे जुड़ जायेगा, जिसे क्षेत्रीय जनता को सुगम यातायात कृषि कारोबार, पर्यटन व्यवसाय, चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा प्राप्त होगी। मार्ग निर्माण से मुख्य मण्डी हल्द्वानी की दूरी लगभग 50 किमी० कम हो जायेगी। |

अतः प्रस्ताव पर यथाचित कार्यवाही शीघ्र करने की कृपा करें यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्थानीय जनता एवं मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी लम्बे समय से मोटर मार्ग की माँग की जा रही है वह वनभूमि प्रस्तावों के निस्तारण हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। बार-बार प्रस्ताव आपत्तियों में आने के कारण लम्बित हो रहा है, जिस कारण अग्रेत्तर कार्यवाही लम्बित है पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्थानीय जनता की माँग के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुये नितान्त आवश्यक है।

भवदीय



अधिशाली अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग

